राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 386/2025

रामबाबू शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, राजस्थान।
3. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, राजस्थान।
4. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री ऋषि राज माहेश्वरी एवं देवेन्द्र शोलंकी, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 14.07.2013 को विज्ञापन जारी कर राज्य भर में कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। अपीलार्थी द्वारा उक्त विज्ञापन में राज्य के विभिन्न जिलों में कांस्टेबल के विभिन्न पदों के लिए प्रावधान किया गया था। उक्त विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता के साथ–साथ आयु और शारीरिक योग्यता निर्धारित की गई थी। (अनुलग्नक–1) उपर्युक्त विज्ञापन के आलोक में अपीलार्थी के पास इसके लिए सभी अपेक्षित योग्यताएँ थीं और इसलिए, उसने उपरोक्त विज्ञापन में ड्राइवर के पद के लिए आवेदन किया। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 07.04.2015 को जारी की गई सूची के अनुसार स्वास्थ्य जाँच और चिकित्सा सत्यापन में सफल रहा। अपीलार्थी का नाम उपरोक्त सूची में दर्शाया गया। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 28.05.2015 को एक आदेश जारी किया जिसके तहत अपीलार्थी के समान उम्मीदवारों को उपरोक्त विज्ञापन में विज्ञापित विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति दी गई

थी। वेतन 8100/– रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था और उक्त भर्ती दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए थी। अपीलार्थियों का नाम सूची में दर्ज नहीं का कारण प्रत्यर्थीगण को ही पता है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई से व्यथित होकर अपीलार्थी ने भर्ती के लिए प्रत्यर्थी विभाग से संपर्क किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 28.12.2015 को नियुक्ति के लिए एक सूची जारी की गई, जिसके तहत अपीलार्थी को अन्य उम्मीदवारों के साथ नियुक्ति प्रदान की गई। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों की तुलना में योग्यता में उच्चतर थे, जिन्हें पहले नियुक्ति दी गई थी, अपीलार्थी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर उच्च वेतन प्राप्त कर रहे थे और अपीलार्थी जो अन्य व्यक्तियों की तुलना में उच्च योग्यता में थे, फिर भी अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विलंबित नियुक्ति के कारण पूर्वोक्त कर्मचारियों की तुलना में कम लाभ मिल रहे थे। उम्मीदवारों को दिनांक 28.12.2015 के आदेश के आधार पर नियुक्ति दी गई थी, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवाद पर निर्णय देते हुए कहा गया कि रिट याचिका में रिट अपीलार्थी की नियुक्ति को उस तिथि से नियुक्ति माना जाएगा, जिस तिथि से कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई थी। इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को भी लाभ और वरिष्ठता प्रदान की, जिस तिथि से कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई थी। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी को 25,500/– रुपये का मूल वेतन मिल रहा है, जबकि इसके विपरीत अपीलार्थी के समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को 27,900/– रुपये का वेतन मिल रहा है। प्रत्यर्थी विभाग के ज्ञात कारणों से अपीलार्थी को नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को प्रतिवादियों की तुलना में योग्यता में कम उम्मीदवारों के मुकाबले कम मूल वेतन और अन्य लाभ मिले हैं। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन दिया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। (अनुलग्नक–7)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की नियुक्ति को उस तिथि से माना जावें जिस तिथि से कम योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई थी। साथ ही अपीलार्थी को काल्पनिक लाभ और वरिष्ठता के लिए उस तिथि से विचार किया जावे, जिस तिथि को कम योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई थी और तदनुसार वास्तविक लाभ जारी किए जा सकें।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया हुआ है, जो निर्णय हेतु लम्बित है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि

वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन जो प्रत्यर्थी विभाग के निर्णय हेतु लम्बित है, प्रत्यर्थी विभाग का सक्षम अधिकारी अपीलार्थी के लम्बित अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य